रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227797
CG-DL-E-23062021-227797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2293] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943
No. 2293] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

का.आ. 2471(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 236.560 कि.मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 13.600 कि.मी. पर मिलने वाले सोलापुर बाइपास और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 13.600 कि.मी. से 30.300 कि.मी. तक के भूखण्ड (हत्तुर - महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा सेक्शन) के निर्माण (चैड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमी अर्जन अधिकारी संख्या क्र. 11 (कृष्णा खोरे), सोलापुर महाराष्ट्र राज्य, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी,

आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के कि.मी. 236.560 से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के कि.मी. 13.600 पर मिलने वाले सोलापुर बाइपास और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के कि.मी. 13.600 से कि.मी. 30.300 (हत्तुर - महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा खण्ड) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: सोलापुर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: उत्तर सोलापूर					
गांव का नाम: बस्वेश्वरनगर					
1	25	निजी	वेट	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
तालुक का नाम: दक्षिण सोलापुर					
गांव का नाम: हत्तुर					
1	8	निजी	वेट	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
गांव का नाम: नांदणी					
1	174	निजी	वेट	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
			कुल	**0.2300**	**0.2300**

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10/3A]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

S.O. 2471 (E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four – laning ,etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.13, on the stretch of land for Solapur Bypass Starting from Km. 236.560 of National Highway – 9 and meeting at Km. 13.600 of National Highway - 13 and from Km. 13.600 to Km. 30.300 (Hattur – Maharashtra /Karnataka Border Section) in district Solapur in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Special Land Acquisition Officer No. 11 (Krishna Khore), Solapur, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for Solapur Bypass Starting from Km-236.560 of National Highway -9 and meeting at Km. 13.600 of National Highway - 13 and from Km. 13.600 to Km. 30.300 (Hattur - Maharashtra / Karnataka Border Section) of the National Highway No. 13 in the State of Maharastra.

State: MAHARASHTRA	**District: SOLAPUR**				
S.No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: North Solapur					
Village: Basveshwarnagar					
1	25	Private	Wet	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Taluk: Solapur South					
Village: Hatur					
1	8	Private	Wet	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Nandani					
1	174	Private	Wet	0.1300000(Hectare)	0.1300000
			Total	**0.2300**	**0.2300**

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.23 20:54:46 +05'30'